



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(Cadre Control Unit)

स्थापना आदेश संख्या:सी.सी.यू.- 04/2026

बोर्ड के पत्र F. No. A.34011/05/2025-Ad.IIIA दिनांक 08.08.2025 के अनुसार, निम्नलिखित निरीक्षक, जिन्होंने सीबीआईसी के किसी अन्य सीसीए में कार्यरत रहते हुए निरीक्षक पद की पुष्टि(confirmation) हेतु आयोजित विभागीय परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर ली थी तथा तत्पश्चात तकनीकी त्यागपत्र के माध्यम से सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर ज़ोन, जयपुर में उसी पद पर नियुक्त हुए हैं, को इस ज़ोन में निरीक्षक पद की पुष्टि (confirmation) हेतु विभागीय परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने से छूट प्रदान की जाती है।

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री)	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान
1.	वरुण लोकवानी	निरीक्षक	सीजीएसटी जोधपुर

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि उपर्युक्त अधिकारी की सेवा पुस्तिका में इस आशय का इन्द्राज विधिवत रूप से करें।

यह आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. अपर आयुक्त (का. एवं सत.), सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जोधपुर।
2. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जोधपुर।
3. वेब मास्टर, सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर — विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. व्यक्तिगत प्रति / सेवा पुस्तिका / गार्ड फाइल।